सत्यमेव जयते

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड
एकीकृत नाभिकीय पुनःचक्रण संयंत्र (प्रचालन)
आर एंड डब्ल्यू एम, तारापुर

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

निविदा सूचना सं.: बीएआरसीटी/एन आर बी/आईएनआरपीओ/ आरडब्लूएम/ यूटी एफएफ/ 2024/170
दिनांक : 08/03/2024

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से **परियोजना प्रबंधक, आईएनआरओपी, तारापुर,** पोस्ट-घिवली, जिला-पालघर-401502 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'क'-लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज भाग 'ख'-वित्तीय बोली में **ई-निविदाकरण** के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हो तथा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

| | | |
|---|---|---|
| i) | कार्य का नाम | "एफ एफ, आईएनआरपीओ, भापअ केंद्र, तारापुर में काम्प्रेस्ड एअर सिस्ट्म, वेन्टीलेशन सिस्ट्म और अदर औक्सिलरी सिस्ट्म को आर टी सी पाली मे चलाने हेतू ।" |
| ii) | कार्य स्थल | ईंधन संविरचन, नाभिकीय पुन:चक्रणबोर्ड, भापअ केंद्र, तारापुर |
| iii) | अनुमानित लागत | रु. 37,38,000/- ( सैंतीस लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र)। |
| iv) | बोली सुरक्षा घोषणा | रु 74,760/- (चौहत्तर हजार सात सौ साठ रूपये मात्र) |

टिप्पणी:-

भाग-ए खोलने से पहले मूल रूप से बयाना राशि परियोजना प्रबंधक, आईएनआरपीओ, तारापुर, के कार्यालय में जमा की जाएगी, अधिमानतः अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद / डिमांड ड्राफ्ट / अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चेक के रूप में, वेतन के पक्ष में जारी किया जाएगा। और लेखा अधिकारी, पीआरइएफआरइ बीएआरसी तारापुर, बोइसर, महाराष्ट्र में देय।

बयाना राशि का एक हिस्सा बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का न्यूनतम 50% या 20.00 लाख, जो भी कम हो, ऊपर निर्धारित फॉर्म में होगा और शेष राशि निविदा भाग के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। 'ए'। बयाना राशि जमा के हिस्से के रूप में जमा की गई बैंक गारंटी निविदा जमा करने की तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वैध होगी। बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि निष्पादन गारंटी (पुष्टि के बाद) प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

v) निविदा दस्तावेज का मूल्य शून्य

| | | |
|---|---|---|
| vi) | निविदा प्रक्रिया शुल्क | शून्य |
| vii) | समाप्ति की अवधि | 12 (बारह) कैलेंडर माह । |
| viii) | निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीखें | दिनांक **15/03/2024 (11.00 बजे )** से वेबसाइट https://eprocure.gov.in//eprocure/app पर ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय तक।। विस्तृत एनआईटी, केवल देखने के लिए, वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है । |
| ix) | बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख | बोलीदाताओं से अनुरोध है कि दिनांक 26/03/2024 तक ई-मेल द्वारा अपनी बोलीपूर्व शंकाएं भेजें । दिनांक 27/03/2024 को 14.00 बजे डब्ल्यूआईपी सम्मेलन कक्ष में ऑफ-लाइन प्री-बिड मीटिंग होगी। बोलीदाता डब्ल्यूआईपी सम्मेलन कक्ष, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्री-बिड मीटिंग में शामिल हो सकते हैं।<br>बोली पूर्व स्पष्टीकरण दिनांक 01/04/2024 तक https://eprocure.gov.in/eprocure/app की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएंगे। |
| x) | निविदाएं ऑनलाइन जमा करने की अवधि | दिनांक 01/04/2024 (14.00 बजे) से 09/04/2024 (14.00 बजे) तक |
| xi) | भाग 'ए के ऑनलाइन खुलने की तिथि और समय | दिनांक 10/04/2024 **(15.00** बजे**)** |
| xii) | पात्र बोलीकर्ताओं के भाग 'बी' को खोलने की तिथि और समय | अधिसूचना बाद में **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** की वेबसाइट पर जारी की जाएगी |

**<u>सूचना,पात्रता मानदंड,शर्तें एवं अनुदेश</u> :**

**सूचना :**

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'ए' (लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज) एवं भाग 'बी' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है । भाग 'ए' में लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज है यथा : खंड **I**-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड **II**- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश, ज्ञापन, खंड **III**- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड **IV**- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड **V**-तकनीकी विनिर्देश, खंड **VI**- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड **VII**- अनुसूची 'बी' (विभाग द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट 'ए'-बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी), परिशिष्ट'बी'-निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बांड का प्रपत्र, परिशिष्ट 'सी' - सुरक्षित अग्रिम के लिए इंडेंचर, परिशिष्ट 'डी' - जलरोधी कार्यों के लिए गारंटी बांड,परिशिष्ट 'ई' - विरोधी दीमक उपचार के लिए गारंटी बांड,अनुलग्नक 'ए'-कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'बी'-भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित विनिर्माताओं की सूची एवं अनुसूची 'ए'से 'एफ' का प्रोफार्मा। भाग 'बी' (वित्तीय बोली)में अनुसूची 'ए'-प्रमात्राओं की अनुसूची है ।

संभावित बोलीदाता या आम जनता उपरोक्त दस्तावेजों के पीडीएफ प्रारूप को वेबसाइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** से मुफ्त में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट **www.barc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

निविदा में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को अपने यूजर आईडी / पासवर्ड पासवर्ड एवं क्लास **III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रके** के साथ वेबसाइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** के होम पेज पर लॉग इन करना होगा।

भावी बोलीकर्ताओंको **एक्सेल दस्तावेज** भरने होंगे और उन्हें **पुन: नाम**(renaming) दिए बिनाइसे अपलोड करना होगा । कृपया निविदा के प्रस्तुतीकरण हेतु हेल्प मैन्युअल रेफर करें अथवा एनआईटी के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क करें ।

वर्णित निविदा बिक्री के दौरान,वर्णित कार्यों के लिए निविदा आरेखों (खंड -VI) का एक सेट केवल निरीक्षण के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में निविदाकारों को उपलब्ध कराया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो बोलीकर्ता, आरेखों का अध्ययन करने के लिए स्वयं आ सकते हैं और यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा । उपरोक्त सभी दस्तावेज सफ़लता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य प्राप्त हो जाने के बाद करार का एक भाग होंगे ।

**आरंभिक पात्रता मानदंड:**

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:
   - (क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।
   - (ख) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम रुपये **14,95,200**/- के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
   - (ग) दिनांक 31मार्च 2023 को समाप्त पिछले **3** वर्षों के दौरान सिविल निर्माण कार्य पर औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम रुपये **18,69,000/-** होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए।
   - (घ) 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए ।
   - (च) पिछले 7 वर्षों में किए गए समान कार्यों की सूची ।
   - (छ) बोली लगाने वाले के पास कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक सूची के अनुसार निर्माण उपकरण होना चाहिए। अन्यथा, उसे प्रमाणित करना होगा कि वह उपकरणों को किराए पर लेकर आदि का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे वह किराए पर लेने का प्रस्ताव करता है।
   - (ज) अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए बोली लगाने वाले के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए ।
   - (झ) जीएसटी हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(ट) स्थायी खाता सं (पी ए एन) ।

(ठ) पीएफ पंजीकरण संख्या।

(ड) विभिन्नसेवार्थियों के लिए निष्पादित कार्य के मूल्य के प्रमाण स्वरूप टी.डी.एस.प्रमाणपत्र ।

(ढ) बोलीदाता को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी सरकार द्वारा निविदा देने से रोका नहीं गया है। पिछले 7 वर्षों में विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। यदि बोली लगाने वाले को रोक दिया गया है, तो उन्हें रोक का विवरण घोषित करना चाहिए और रोक के आदेश की प्रति जमा करनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी मामले के गुण-दोष के आधार पर बोली लगाने वाले की योग्यता पर निर्णय लेगा ।

(ण) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन को समाप्त होने वाले पिछले सात (**07**) वर्षों के दौरान सभी मामलों में समान कार्यों को सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से पूरा करने का अनुभव (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर)। संयुक्त उद्यमों में कार्यों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(त) पूर्व बोली लगाने वाले को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई." में परिभाषित "श्रेणी- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होना चाहिए। -II, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित।

4. **बोलीकर्ता को निम्नलिखित कार्य संतोषजनक रूप (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के आधार पर)**

4.1. निविदा अनुमानित लागत का 40% मूल्य के 03 (तीन) समान कार्य या रु. 14,95,200/-

4.2. निविदा अनुमानित लागत का 60% मूल्य के 02 (दो) समान कार्य या रु. 22,42,800/-

4.3. निविदा अनुमानित लागत का 80% मूल्य के 01 (एक) समान कार्य रु. 29,90,400/-

4.4. और यदि अनुमानित लागत बीस (20) करोड़ से ज्यादा हैं तो किसी भी प्रकृति का एक पूर्ण कार्य (या तो उपर्युक्त कार्यो का भाग अथवा एक पृथक कार्य भाग) जिसकी लागत अनुमानित लागत का 40% मूल्य के बराबर राशि से कम न हो, को किसी केंद्र सरकार के विभाग अथवा राज्य सरकार के विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/शहर विकास प्राधिकरण/केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अधीन गठित शहर का म्यूनीशिपल कार्पोरेशन तथा केंद्र/राज्य के राजपत्र में प्रकाशित के साथ निविदा के लिए रखा गया

**आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात ) वर्षों में (कार्य के क्लायंट के कार्य-निष्पादन के प्रमाणन पर आधारितकागजाती सबूत के साथ) से पूरा होना चाहिए**

5. इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें नि:शुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समान कार्य का तात्पर्य है **"** <u>काम्प्रेस्ड एअर सिस्ट्म, वेन्टीलेशन सिस्ट्म और पम्प का ओप्रेशन/ मैन्ट्नस **सम्बंधित** कार्य होगा</u> **"**। समान कार्य वो होना चाहिए जो भारत में सम्पादित किया गया हो।

6. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा कागजात के क्रय/डाउनलोड करने के लिए अनुरोधकी आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।

7. लागू ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता निविदा में लगाए गए काम की अनुमानित लागत से अधिक या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता निम्नलिखित फार्मूले पर काम की जाएगी:

   बोली क्षमता = [एX एन X2] - बी

   जहां:

   ए = पिछले पांच सालों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य पूरा होने के साथ-साथ कार्य प्रगति पर ध्यान में रखते हुए। पूर्ण कार्य का मूल्य 7% प्रति वर्ष की एक नमूना दर में वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर खरीदा जाएगा।

   एन = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

   बी = मौजूदा वचनबद्धता के मूल्य और कार्य के पूरा होने की अवधि के दौरान चलने वाले कामों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं

   यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वह अयोग्य ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि वह है:

   → पात्रता मानदंड दस्तावेज में आवश्यक रूपों, बयानों और संलग्नक में जानकारी को गुमराह करने या गलत प्रतिनिधित्व या जानबूझकर दबाना,

   → काम को छोड़ने जैसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड, अनुबंध या वित्तीय विफलताओं / कमजोरियों आदि को ठीक से पूरा नहीं करना।

8. **बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए ।** संयुक्त उद्यम या कॉन्सॉर्टियम स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**शर्तें :**

9. निविदा के भाग 'ए'(लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज)के खुलने के पश्चात,मुख्य अभियंता द्वारा एक निरीक्षण दल गठित किया जाएगा जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/संपूर्ण किये गये कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा ताकि निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके :-

   क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर ।

   ख) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं ।

   ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप ।

   घ) कंपनी की संगठनात्मक संरचना ।
   कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।

   च) समय एवं गुणवत्ता की सजगता ।

   छ) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति ।

   ज) क्षेत्र नियोजन क्षमता ।

   ट) कंपनी की कार्य को बैक टू बैक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति ।

   (ठ) किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बोली लगाने वाले को प्रतिबंधित करने की प्रकृति (यदि कोई हो)।

पात्रता मानदंडों से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन: यह एनआईटी में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर वित्तीय बोली खोलने से पहले सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के परिशिष्ट -1 के अनुबंध-1 के अनुसार किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन: वित्तीय बोली खोलने की तारीख बोलीदाताओं को दी जाएगी जिनके भाग-I (पात्रता मानदंड (अंश- I) से संबंधित दस्तावेज विभाग को संतोषजनक पाए जाते हैं , केवल ऐसे बोली लगाने वाले को भाग- द्वितीय (वित्तीय बोली)खोला जाएगा ।

संकेतित काम की अनुमानित लागत केवल अनुमानित है और ठेकेदार वास्तविक डेटा के आधार पर दरों को पूरा करेगा।

10. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

11. आवेदक को सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में बोली के साथ भाग-बी खोलने से पहले एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा:

    "मैं / हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि समान पात्र कार्य (यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से वापसी आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अगर ऐसा कोई उल्लंघन विभाग के नोटिस पर आता है, तो मैं / हम भविष्य में हमेशा के लिए एनआरबी, बीएआरसी तारापुर के संविदा में निविदा के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। " और

    "मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके देने पर प्रतिबंध के संबंध में अनुबंध- I में खंड पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोली लगाने वाला ऐसे देश से नहीं है या यदि ऐसे देश से है, तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को किसी भी काम का उप-ठेका नहीं देगा, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)"

12. निविदा भाग 'क' खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी ।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

15. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें या कार्य स्थल की सुपुर्दगी के पहले दिन, जो भी बाद में हो, से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।

16. निविदाएं ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि से **120 दिनों** तक वैध रखी जाएंगी। यदि कोई बोलीदाता वैधता अवधि के भीतर और काम दिए जाने से पहले, जो भी पहले हो, अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी भी अधिकार या

उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) बिल्कुल जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहें। इसके अलावा, बोली लगाने वाले को कार्य की पुन: निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. यदि निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

18. संभावित बोलीदाता को 1(iv) में वर्णित एफडीआर/डीडी/बीसी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए और मूल को " **परियोजना प्रबंधक, आईएनआरओपी, तारापुर** " के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। , तारापुर, पता: "बीएआरसी तारापुर कॉम्प्लेक्स, पोस्ट- घिवली, तालुका और जिला- पालघर, पिन- 401502, महाराष्ट्र में भाग-ए खोलने से पहले, ऐसा न करने पर निविदा खारिज कर दी जाएगी।

19. बिल की सकल राशि का 2.5% सुरक्षा जमा प्रत्येक चालू बिल के साथ-साथ ठेकेदार के अंतिम बिल से तब तक काटा जाएगा जब तक कि कटौती की गई राशि कार्य के निविदा मूल्य के 2.5% की सुरक्षा जमा राशि के बराबर न हो जाए।सुरक्षा जमा अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद भी स्वीकार की जाएगी।

सुरक्षा जमा राशि अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद भी स्वीकार की जाएगी।

20. इसके अलावा, ठेकेदार को जीएम, आर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट / सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध के निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि प्रदर्शन गारंटी के रूप में कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर या काम शुरू होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

21. यदि सफल बोलीदाता कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर (और अनुसूची एफ में उल्लिखित अनुग्रह अवधि के अधीन) या काम शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो विभाग (बीएआरसी) किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिना किसी सूचना के उक्त बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22. निविदा की स्वीकृति का अधिकार उस विभाग पर होगा जो सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखता है। वे सभी निविदाएँ जिनमें कोई भी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं या किसी भी संबंध में अपूर्ण हैं, अस्वीकार कर दी जाएंगी।

23. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार सख्ती से प्रतिबंधित है और प्रचार-प्रसार का सहारा लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

24. विभाग के पास निविदा के संपूर्ण या केवल भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और बोलीदाता उद्धृत दरों पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

25. i) उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल होगा और ठेकेदार द्वारा देय होगा और एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार को माल के तहत पंजीकृत होना चाहिए

    ii) श्रम कल्याण उपकर, यदि लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा।

iii) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से आयकर, जीएसटी टीडीएस और लागू होने वाले किसी भी अन्य कर की कटौती की जाएगी।

iv) सभी श्रमिकों को लागू न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है।

v) ठेकेदार को कानून के अनुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए, अथवा यदि विभाग पूछता है, तो ठेकेदार को संबंधित विभाग को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को भुगतान करना होगा । ईएसआईसी की प्रतिपूर्ति उनको विभाग द्वारा इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद की जाएगी कि इसे वास्तविक एवं असली रुप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है ।

26. **जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।**

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्त की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र, बिना कोई कारण बताए/बिना 'कारण बताओ सूचना' जारी किए तुरंत ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखताहै । ऐसीपरिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/देयता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारीसुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह अधिकार होगाकि वह सरकार के पास जमा निष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्तकर ले **।**

**अनुदेश :**

27. बोली लगाने वाले को **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** पर पंजीकृत होना चाहिए। जो बोली लगाने वाले ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
28. निविदाएं ऊपर बताए अनुसार समय और तारीख तक ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। भाग ए ऊपर बताए अनुसार समय और तारीख पर खोला जाएगा। भाग ए खोलने के बाद, मूल्यांकन के लिए, बोली लगाने वाले के चालू/पूरे कार्य स्थलों और कार्यालयों का दौरा किया जा सकता है। पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अनुसार बोलीदाताओं को योग्य बनाया जाएगा। योग्य बोलियाँ फिर अधिसूचित तिथि और समय पर खोली जाएंगी। भाग 'बी' (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि सभी बोलीदाताओं को ईमेल द्वारा सूचित की जाएगी।
29. बोली लगाने वाला लॉगिन कर सकता है और बोली खोलने के बाद उसकी स्थिति देख सकता है।
30. बोलीदाता को प्रत्येक वस्तु की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करना होगा। वित्तीय बोली इस निविदा दस्तावेज़ के साथ https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर BoQ_XXXX.xls के रूप में प्रदान की गई है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अनुमत (असुरक्षित) कोशिकाओं में अपनी दरें उद्धृत करें जो अलग-अलग रंग और अन्य विवरणों (जैसे बोली लगाने वाले का नाम) में दिखाई देती हैं। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए. एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद,

बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। बोलीदाता डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि कोई सेल खाली छोड़ दिया जाता है और बोलीदाता द्वारा कोई दर उद्धृत नहीं की जाती है, तो ऐसी वस्तु की दर "0" (शून्य) मानी जाएगी।

31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

(i) सीए द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्न ओवर (अधिमानतः यूडीआईएन के साथ)।

(ii) मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण - सीए द्वारा प्रमाणित (अधिमानतः यूडीआईएन के साथ)।

(iii) नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र ।

(iv) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्माण संयंत्रों और मशीनरी/उपकरणों की सूची ।

(v) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची।

(vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड।

(vii) एफडीआर/डीडी/बीसी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की प्रतिलिपि।

(viii) पिछले सात वर्षों में पूरे किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित और वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से पात्र समान कार्यों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र शामिल हैं।

हाथ में मौजूद कार्यों की सूची जो दर्शाती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय/वर्तमान स्थिति।

**(ix)** प्रमाणपत्र:

क) पंजीकरण प्रमाणपत्र**,** यदि कोई हो

बी) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/प्रदर्शन प्रमाण पत्र

ग) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

घ) पीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(x) यह वचन देते हुए कि पात्र समान कार्यों को बैक टू बैक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं किया गया है।

(xi) भाग ए के अनुसार घोषणा: अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा II और खंड 11।

(xii) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो ।

(xiii) घोषणा कि बोली लगाने वाले को 3(I) में वर्णित अनुसार वर्जित नहीं किया गया है ।

(xiv) कंपनी के लेटर हेड में अनुलग्नक- II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के अनुसार वचनबद्धता।

(xv) अनुलग्नक-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) में परिभाषित "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होने के संबंध में आधिकारिक लेटर हेड में वचनबद्धता ।

**टिप्पणी** : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षणसमिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

**टिप्पणी:**

1. पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा खरीद/डाउनलोड एवं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं ।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** वेबसाइट देख सकते हैं ।
3. संपर्क या सहायता / स्पष्टीकरण (02525) 290 327/268 253/268 205
4. पंजीकरण और ई-निविदा में भागीदारी के लिए सहायता के लिए संपर्क करें:

   क) श्री भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं । 022-25487480

   ख) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

   1) 0120- 4001 002

   2) 0120-4001 005

   3) 0120-6277 787
5. स्थल भ्रमण / सहायता / स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ई-मेल आईडी:-

   सेवा में : sdchandekar@barc.gov.in, vkpathak@barc.gov.in,

   सीसी : adkshirsagar@barc.gov.in

**यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को मुख्यरूप सही माना जाए ।**

**कृते**

**परियोजना प्रबंधक, आईएनआरओपी,**

नाभिकीय पुनचक्रणबोर्ड: बीएआरसी, तारापुर

(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)